न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 133/2017

उनवानी प्रकरण :–

गजेन्द्र सिंह पुत्र लाखन सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बीलौनी तहसील बाडी जिला धौलपुर ———————————————— अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.02.2017
नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 158/17
उनवानी राज0 सरकार बनाम गजेन्द्र सिंह
अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री नेमीचन्द रावत अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–29.12.2017

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 17.02.17 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार आ.ख. नं. 1077 रकवा 62 वीघा 02 विस्वा बाके ग्राम बीलौनी में से 02 वीघा रकवा पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना एक पक्षीय तौर पर अतिक्रमी मानते हुए एक माह के सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एंव तथ्यो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया है नाही कोई तामील कराई है। अपीलान्ट को उक्त खसरा नम्बर पर कोई अतिक्रमण नही है। अपीलान्ट को निर्णय की कोई जानकारी नही रही। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2017 खारिज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश दिनांक 17.02.17 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा नोटिस की प्रमाणित प्रति पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस प्रचारित नहीं किया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से नोटिस की तामील अपीलान्ट पर कराई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय है जो अपीलान्ट पर किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पटवारी हल्का से प्राप्त हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नही की है फिर भी पृथक से धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य मे कोई कब्जा नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.17 खारिज किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वयं पर हुई है। नोटिस तामील पर अपीलान्ट की अंगूठा निशानी है। अतः अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट पर जारी नोटिस की तामील नही हुई है। अपीलान्ट जानबूझकर बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है।
2. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में कभी कब्जा नही करेगा।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार कंचनपुर मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट का कब्जा नही है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एंव निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर

शुचि त्यागी
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)